न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–522/2012/223 आर.टी.एक्ट (2012/00038)

1. श्री रामलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बलाई निवासीगण बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. घीसा लाल पुत्र भूरा जाति बलाई निवासी बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्री गजानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति बलाई निवासी बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमती गुलाब पुत्री जगन्नाथ पत्नी धन्ना लाल बलाई निवासी हिगोनिया तहसील सरवाड जिला अजमेर।
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2001 प्रकरण संख्या 161/1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर।

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04
4. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–23.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 161/1991 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अपीलांट के पिता जगन्नाथ के विरूद्ध ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर के खसरा नम्बर 886, 887, 933, 934 व 940 से 942, 992, 1001, 1004, 1010, 1009 की कृषि भूमियों के बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दौराने दावा अपीलांट के पिता श्री जगन्नाथ का देहांत हो गया व उसके स्थान पर उनकी बेवा केसर व पुत्र गजानन्द व रामलाल व पुत्री गुलाब को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी केसर बाई व गजानन्द ने दावे के तथ्यों से इंकार कर विपक्षी का दावा निरस्त करने का निवेदन किया व विपक्षी घीसा ने रामलाल जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

साधु है, उसे व उसकी बहन गुलाब को मुगालता देकर राजीनामा तथ्यों के विपरीत उनकी अनपढता का फायदा उठाकर लिखवा दिया, व परीक्षण न्यायालय ने दावे में छह तनकियात कायम कर आराजी मुतनाजा किसी भी प्रकार से पुश्तैनी आराजी साबित न होते हुए भी केवल रामलाल व गुलाब के राजीनामें को आधार बनाकर परीक्षण न्यायालय ने विपक्षी घीसा का वाद डिक्री करने की आज्ञा दिनांक 23.3.2001 को पारित कर दी, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट अभिभाषक ने अपीलांट को नहीं दी व इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री के आधार पर फाईनल डिक्री भी दिनांक 25.7.2002 को पारित कर दी गई जिसका प्रार्थीगण को हाल ही में जानकारी जब हुई जबकि विपक्षी मौके पर आकर आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा व उसने कहा कि उसका दावा आधी जमीन के बाबत डिक्री हो चुका है। अतः अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में जाकर डिक्री की जानकारी दिनांक 28.3.2012 को होने पर उसी रोज प्रार्थना पत्र वास्ते प्राप्त करने नकल प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट को दिनांक 2.7.2012 को नकल दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2001 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विपक्षी घीसा ने प्रार्थी को मुगालता देकर राजीनामा पेश किया, जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी व उस गलत राजीनामें के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी का वाद डिक्री कर दिया, जिसकी प्रार्थी के अभिभाषक ने कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं दी व प्रार्थी जो की एक अनपढ़ साधु व्यक्ति हैं वह सारी कार्यवाही हेतु अपने अभिभाषक पर निर्भर था व प्रार्थी के अभिभाषक ने भी डिक्री के बाबत् कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी व न ही विपक्षी ने कोई आराजी मुतनाजा पर कब्जा ही किया हाल ही में विपक्षी अधीनस्थ न्यायालयों के डिक्री के तहत आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने आया तो प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में जाकर मालूमात की तो प्रार्थी को मालूम हुआ कि विपक्षी ने डिक्री दिनांक 23.03.2001 को पारित करवा ली है व इसी आधार पर दूसरी फाईनल डिक्री भी दिनांक 25.7.2002 को पारित करवा ली। अतः प्रार्थी को उपरोक्त डिक्री की जानकारी दिनांक 28.3.2012 को होने पर उसी रोज एक प्रार्थना पत्र वास्ते नकल हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 2.7.2012 को नकल दी गई। तत्पश्चात कानूनी सलाह लेकर वह फीस आदि का प्रबंध कर न्यायालय के समक्ष जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।
R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*
चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय बिना किसी दस्तावेज के व बिना किसी ठोस सबूत के वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में करने में भूल की है, जबकि आराजी मुतनाजा कभी भी नोला के खातेदारी की भूमि नहीं रही है व न ही वादी इस तथ्य को किसी भी प्रकार से साबित कर पाए है व जो राजीनामे रामलाल व गुलाब द्वारा वादीगण ने प्रस्तुत करवाए है वह भी पुनः मुगालता देकर फर्जी तौर पर कराए है, ऐसी स्थिति में उन फर्जी राजीनामों के आधार पर आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी मानकर जो तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी मुतनाजा हमेशा से जगन्नाथ की खातेदारी की रही है व विपक्षी ने कोई ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे आराजी मुतनाजा नौला की खातेदारी मानी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी आराजी मानकर विपक्षी का वाद डिक्री करने में भूल की है। आराजी मुतनाजा पर वादी का कोई कब्जा आज दिनांक तक नहीं रहा है व न ही उसने कब्जे के बाबत कोई सबूत ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे के ही उसे आधी भूमि का खातेदार मानकर दावा डिक्री किया है। विपक्षी वादी घीसा का जगन्नाथ की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है, उसने गलत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करवा लिया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

23.03.2001 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी में विवादित आराजीयात जो वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों की पुश्तैनी भूमि है तथा वादी प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है इसी प्रकार से मौके पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड अकेले प्रतिवादी के नाम गलती से तथा बडा भाई व परिवार का कर्ता होने तथा मृतक भुवाना का भी जल्दी ही स्वर्गवास हो गया था तथा वादी के पिता मृतक श्री भूरा अपने काका प्रतिवादी मृतक श्री जगन्नाथ के विश्वास में रहता रहा तथा बाद में उसका भी निधन हो गया। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम हो जाने से अब प्रतिवादी मृतक श्री जगन्नाथ व उसके वारिसान की नियत खराब हो जाने से वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में तथा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से वादी ने घोषणा व बंटवारे का दावा किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अपीलांट के पिता जगन्नाथ के विरूद्ध ग्राम बिसुन्दनी तहसील केकडी जिला अजमेर के खसरा नम्बर 886, 887, 933, 934 व 940 से 942, 992, 1001, 1004, 1010, 1009 की कृषि भूमियों के बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकीयां कायम की जाकर उक्त प्रकरण को दिनांक 23.3.2001 को डिक्री किया गया। हमारे द्वारा उक्त तनकियों का विवेचन व अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है।

तनकी संख्या 1 – सर्वप्रथम इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है चूंकि इस बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजीनामा पेश किया था जिसके फलस्वरूप यह तथ्य सामने आते है कि उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिसके अनुसार भुवाना व जगन्नाथ भाई थे। जो कि नौला के पुत्र थे। पत्रावली पर सन् फसली 1359 है उसके कॉलम में विवादित आराजीयात का पुश्तैनी होना अंकित है। यदि उक्त आराजीयात सिर्फ जगन्नाथ की होती तो सन् फसली 1359 पर पुश्तैनी की बजाय खुदकाश्त अंकित होता। अतः इससे यह बात स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम तनकी का निर्णय विधि सम्मत किया गया है।

तनकी संख्या 2 – चूंकि तनकी संख्या 1 के अनुसार जब यह प्रमाणित हो चुका है कि विवादित आराजीयात जो कि पुश्तैनी है। विवादित आराजीयात बाबत कब्जे काश्त को लेकर उभयपक्षों में आपसी विवाद होना स्वयं सिद्ध है, अतः वर्णित आराजीयात संयुक्त स्वामित्व की भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का विवेचन भी न्याय संगत किया गया है।

तनकी संख्या 3 – अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अभिभाषक ने खसरा नम्बर 1009 रकबा 1–8–0 बीघा भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि होना प्रदर्श–डी 11 से होना बताया तथा वादी केवल प्रदर्श–डी 11 में वर्णित भूमि का ही बंटवारा कराने का हक रखता है। चूंकि यदि ऐसा होता तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामे में यह कथन नहीं कहते कि विवादित संपूर्ण आराजीयात पुश्तैनी है। उनके द्वारा किया गया राजीनामा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पढकर सुनाया गया है तथा जिसकी पुष्टि उनके स्वयं के अभिभाषक ने कि है, जो कि उक्त राजीनामे के पृष्ठ पर भी अंकित किया गया है। जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय भी विधिसम्मत किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

तनकी संख्या 4 – तनकी संख्या 4 वादी द्वारा अपनी मां व बहनों को पक्षकार बनाने के संबंध में है। चूंकि उनको पक्षकार बनाए जाने से अपीलांट के हक व हिस्से पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है। उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि मृतक भूरा के वारिस कायम करने या नहीं करने से वर्तमान अपीलांट के हक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पडता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निर्णय भी न्याय संगत किया गया है। जिससे न्यायालय हाजा सहमत है।

तनकी संख्या 5 – विवादित आराजीयात जो कि संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात है उसी का बंटवारा किया जा सकता है। प्रदर्श डी–6 व प्रदर्श डी–8 में वर्णित भूमियां उभयपक्षों के पूर्वजों की बनाई हुई नहीं है, अतः इन भूमियों को किसी भी आधार पर पुश्तैनी नहीं माना जा सकता है क्यों कि उक्त भूमि वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि है व अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को ना तो अधीनस्थ न्यायालय में ना ही हाजा न्यायालय में पुश्तैनी भूमि होना सिद्ध किया गया है। अतः उक्त तनकी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णित की गई है।

तनकी संख्या 6 – चूंकि तनकी संख्या 6 दादरसी से संबंधित है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकियों का निर्णय विधिसम्मत किया गया है। जिससे न्यायालय हाजा सहमत है, अतः उक्त तनकियों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपरोक्त तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 161/1991 पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2001 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23/04/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner